संख्या-12/2023/ 001-100-2311273/2023-12-5099/24/2022

प्रेषक,

अमर चन्द्र,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कृषि निदेशक
उत्तर प्रदेश,
लखनऊ।

कृषि अनुभाग-5 **लखनऊ : दिनांक 13 फरवरी, 2023**

विषय:- प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (पी0एम0कुसुम) योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23 में वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-सोलर/714/पी0एम0 कुसुम/2022-23, दिनांक 24.01.2023 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2022-23 में प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान(पी0एम0 कुसुम) योजनान्तर्ग अनुदान सं0-11 के लेखाशीर्षक-2401-फसल कृषि कर्म, 113-कृषि इंजीनियरी, 8903-प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (पी0एम0-कुसुम) योजनान्तर्गत निम्न विवरण के अनुसार धनराशि रू.14607.00 लाख (रूपया एक सौ छियालिस करोड़ सात लाख मात्र) के सापेक्ष राज्यांश की धनराशि रू.8000.00 लाख **(अस्सी करोड़ मात्र)** की धनराशि आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

नियम व शर्ते / प्रतिबन्धों

(1) स्वीकृत की जा रही धनराशि व्यय करने से पूर्व विभाग यह सुनिश्चित करेंगे कि योजना में केन्द्रांश अवश्य प्राप्त होगा। केन्द्रांश प्राप्त करने के लिए विभाग प्रभावी पैरवी करेंगे तथा केन्द्रांश की प्राप्ति हेतु किये गये प्रयासों एवं उपलब्धि से वित्त विभाग को अवगत करायेंगे।

(2) स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण/व्यय भारत सरकार द्वारा अनुमोदित कार्य-योजना एवं मदों में भारत सरकार द्वारा निर्धारित गाइडलाइन्स का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करते हुए उपलब्ध धनराशि की सीमान्तर्गत किया जायेगा।

(3) केन्द्र पोषित योजनाओं में वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने के संबंध में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 07 जून, 2022 के प्रस्तर-2(16) के प्रतिबन्धों के अनुपालन का दायित्व विभाग का होगा।

(4) भारत सरकार द्वारा निर्गत दिशा- निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(5) जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों तथा स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/ केन्द्र अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति विभागाध्यक्ष/ नियंत्रक अधिकारी द्वारा प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाये।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(6) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय उसीं मद में किया जायेगा, जिस मद के लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है। किसी अन्य मद में न ही उसका व्यय किया जायेगा और न ही एक मद से दूसरे मद में इसका व्यावर्तन किया जायेगा।

(7) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय/उपयोग चालू वित्तीय वर्ष में ही सुनिश्चित किया जायेगा तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध करायेंगे।

(8) ऑकडो की शुद्वता का दायित्व विभाग का होगा।

(9) व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता के सम्बंध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों एवं क्रय के संदर्भ में जारी दिशा-निर्देशों का विशेष रूप से अनुपालन किया जायेगा।

(10) स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण/व्यय वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 07 जून, 2022 एवं 08 नवम्बर, 2022 तथा समय-समय पर निर्गत अन्य अद्यतन सुसंगत शासनादेशों में निहित व्यवस्था का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 80,00,00,000 (रुपये अस्सी करोड़ मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 011 **लेखा शीर्षक** 2401001138903 प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एंव उत्थान महाभियान (पी.एम. कुसुम) योजना **मानक मद** 27 सब्सिडी के नामे डाला जायेग।

3- यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न संख्या ई-1-395-दस-2022-23- दिनांक: 6-2-2023 मे प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,
अमर चन्द्र
अनु सचिव

संख्या एवं दिनांक यथोक्त।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2. प्रधान महालेखाकार (सिविल/आडिट)-प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
3. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
4. अपर कृषि निदेशक (तिलहन एवं दलहन) / नोडल अधिकारी (पी0एम0कुसुम), कृषि भवन, उ0प्र0 लखनऊ।
5. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
6. वित्त नियंत्रक, उ0प्र0 कृषि निदेशालय, कृषि भवन, लखनऊ।
7. सहायक निदेशक (कम्प्यूटर एवं समन्वय) कृषि भवन, लखनऊ।
8. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-1/कृषि अनुभाग-3/नियोजन अनुभाग-3
9. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
अमर चन्द्र
अनु सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।